

समाहरणालय, पटना ।  
(शस्त्र शाखा)

फोन नं० 0612-2219545 (का०)  
फैक्स नं०-0612-2218900  
Email : dampatnaarmssection@gmail.com  
dm-patna.bih@nic.in

—: आदेश :—

10.2.2014

आवेदक श्री सतीश कुमार, पिता-स्व० सहजानन्द सिंह, सा०-बिन्द टोली, पो०-बी०भी० कॉलेज, थाना-शास्त्रीनगर, जिला-पटना से प्राप्त एक एन०पी०बोर रिवाल्वर/पिस्टल शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन-पत्र पर शस्त्र अनुज्ञप्ति वाद संख्या-09-166/2012 कायम करते हुए वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से जाँच/सत्यापन प्रतिवेदन की माँग की गई।

वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना के पत्रांक-976/गो०, दिनांक-05.09.2012 द्वारा आवेदक के शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन पत्र को जाँचोपरान्त बिना अनुशंसा के मूल में अग्रसारित किया गया है। पुलिस उपाधीक्षक, सचिवालय, पटना द्वारा थानाध्यक्ष, शास्त्रीनगर के जाँच प्रतिवेदन के कंडिका-10 में अंकित टिप्पणी के आलोक में आवेदक के शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन पत्र को बिना अनुशंसा के अग्रसारित किया गया है। थानाध्यक्ष, शास्त्रीनगर द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि वे निजी व्यवसाय करते हैं। तदोपरान्त आवेदक के जान-माल के सुरक्षार्थ शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत करने हेतु अनुरोध किया गया है। आवेदक को विशेष सुरक्षा भय होने के संबंध में कोई विशेष तथ्य प्रतिवेदित नहीं किया गया है। थानाध्यक्ष द्वारा जाँच प्रतिवेदन की कंडिका-10 के सभी बिन्दुओं पर 'नहीं' प्रतिवेदित करने के बावजूद आवेदक को शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत करने की अनुशंसा की गयी है, लेकिन इसके लिए कोई कारण नहीं बताया गया है।

अभिलेख पर संधारित कागजातों का सूक्ष्मतापूर्वक परिशीलन किया गया। शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा 13 (2) के तहत प्राप्त पुलिस प्रतिवेदन, आवेदक के आवेदन एवं अभिलेख पर संधारित कागजातों के सूक्ष्मता पूर्वक अवलोकन के पश्चात अधोहस्ताक्षरी इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि आवेदक को सुरक्षा के बिन्दु पर कोई विशेष सुरक्षा भय/खतरा नहीं है तथा उन्हें एक एन०पी०बोर रिवाल्वर/पिस्टल हेतु शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत किए जाने का कोई यथेष्ट कारण नहीं है।

शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा 13, शस्त्र नियम 1962 में निहित शक्तियों एवं वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में सम्यक विचारोपरान्त आवेदक श्री सतीश कुमार, पिता-स्व० सहजानन्द सिंह, सा०-बिन्द टोली, पो०-बी०भी० कॉलेज, थाना-शास्त्रीनगर, जिला-पटना के आवेदित एक एन०पी०बोर रिवाल्वर/पिस्टल अनुज्ञप्ति आवेदन-पत्र को अस्वीकृत किया जाता है।

वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

जिला दण्डाधिकारी,  
पटना।

जिला दण्डाधिकारी,  
पटना।